

Conference of Chief Justices

669. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 488 on the 4th September, 1963 and state:

(a) whether the recommendations of the Chief Justices Conference have been received by Government; and

(b) if so, the important matters discussed at the Conference?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis):

(a) Yes.

(b) The important matters discussed at the Conference were: arrears in High Courts, strength of High Courts, conditions of service of High Court Judges, financial powers of High Courts, conditions of service of the staff of High Courts, arrears in Subordinate courts, measures for prevention of corruption in the administrative machinery of Subordinate courts, control of High Courts over subordinate judiciary, separation of the executive from the judiciary and the creation of an All India Judicial Service.

बच्चों के गांव

६७०. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सलाहकार समिति ने १९६६ तक भारत में बच्चों के तीन गांव स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ; और

(ग) ये गांव कहां-कहां बनाये जायेंगे और उन पर कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा

बाल कल्याण के लिए नियुक्त सलाहकार समिति ने देश में तीन बाल-ग्राम स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह सिफारिश इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

सेनेटों और सिडीकेटों के लिये अध्यापकों का निर्वाचन

६७१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय आयोग ने सेनेट, सिण्डिकेट आदि में शिक्षकों को स्थान देने के लिये निर्वाचन पद्धति का विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों में निर्वाचन पद्धति विद्यमान है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई दीवान भ्रानन्ध कुमार समिति ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया है और यदि हां, तो क्या ; और

(घ) क्या किसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति भी निर्वाचन से होती है और यदि हां, तो कहां और किस रूप में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) :

(क) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश यह की कि सभी विभागाध्यक्ष और सभी कालेजों के प्रिंसिपल सीनेटों के सदस्य होने चाहिएं। यदि यह संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाए, तो निर्धारित संख्या तक ही सदस्यों को सीमित रखने के लिए, चुनाव से नहीं, बल्कि भारी-भारी से सदस्य बनाने चाहिएं।